संख्या-1/3/96-का-4/2004

प्रेषक,

वी0के0 मित्तल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
2 समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 20 जून,2004

विषय- सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति में स्थानान्तरण हेतु अंतिम तिथि सम्बन्धित।

महोदय,

शासन द्वारा वर्ष 2004-2005 के लिए निर्गत स्थानान्तरण नीति जो शासनादेश संख्या1/3/96-का-4/2004 दिनांक 03जून,2004 द्वारा जारी हुई थी के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तर-6 में अंकित अंतिम तिथि 20जून,2004 को परिवर्तित कर दिनांक 30जून,2004 निर्धारित किया जाता है। शेष प्राविधान पूर्ववत रहेंगे।

भवदीय,

(वी0 के0 मित्तल)
मुख्य सचिव।

संख्या-1/3/96/(1)-का-4-2004, तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल जी।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण।
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(प्रदीप शुक्ला)
सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 2 सा० नियुक्ति—2004— (390)—2000—प्रतियाँ (आफसेट)।